फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी :– श्री शंकर **विपक्षी :– राज्य**

किस्म मुकदमा – 136 भू.रा.अधि. **पत्रावली संख्या : 16/19**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 20.11.2020 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में प्रार्थी व राजपेरोकार की बहस पर मनन किया। राजपेरोकार द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में नाम लालु पिता मोती डांगी गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा जवाब प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड, ग्राम पंचायत साकरिया खेडी का प्रमाण पत्र पेश कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र दस्तावेज में प्रार्थी का नाम शंकर डांगी अंकित है। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जिसमें लालु उर्फ शंकर को एक ही व्यक्ति होना बताकर दोनों नामों से जाना जाने का कथन किया हैं। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार ने लालु व शंकर को एक ही व्यक्ति होना बताया हैं। उक्त प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम शंकर होना जाहिर आया हैं। राजपेरोकार द्वारा नाम संशोधन में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: आदेश :–** परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जात है कि मौजा भीमल चारणान पटवार हल्का साकरिया खेडी की आराजी नम्बर 352, 389, 390, 405 किता 4 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा भूमि में खातेदार लालु पिता मोतीलाल के बजाय लालु उर्फ शंकर पिता मोतीलाल संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाड़िया)** **उपखण्ड अधिकारी** **मावली**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.12.04 16:30:14 IST
Reason: SelfAttested